इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2012—कार्तिक 25, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को दिनांक 25 सितम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक छियालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, की अवकाश अवधि में श्रीमती अलका उपाध्याय, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका उपाध्याय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

क्र. ई-5-780-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल को निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 20 सितम्बर 2012 से 29 सितम्बर 2012 तक दस दिन कार्योत्तर. (दिनांक 19 एवं 30 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ).

2. दिनांक 30 अक्टूबर 2012 से 7 दिसम्बर 2012 तक उन्चालीस दिन (दिनांक 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 एवं 8, 9 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ).

(2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री पंकज अग्रवाल भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, म. प्र. को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी.डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा सचिव, मुख्य मंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 9 से 16 नवम्बर 2012 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्य मंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा सचिव, मुख्य मंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-एक-5 .—श्री स्वदीप सिंह आयएएस., अध्यक्ष, म. प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2012 से दिनांक 26 अक्टूबर 2012 तक नौ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को निम्नानुसार अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 26 अक्टूबर 2012 (01 दिन)

2. दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश सासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्याक आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2012 द्वारा स्वीकृत दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 से 18 अक्टूबर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-230-2012-5-एक.—श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे. (2008), महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) जिनकी सेवाएं पूर्व से ही वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पास हैं, को अब आदेश जारी होने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-666-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. व्ही. एस. निरंजन, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च सिक्षा विभाग को दिनांक 5 से 27 नवम्बर 2012 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. व्ही. एस. निरंजन की अवकाश अवधि में श्री आर. ए. खण्डेलवाल, भाप्रसे आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, उच्च सिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. व्ही. एस. निरंजन द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी आयएएस., प्रमुख राजस्व आयुक्त, तथा नियंत्रक शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को दिनांक 15 नवम्बर 2012 से 14 दिसम्बर 2012 तक 30 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री हीरालाल त्रिवेदी की अवकाश अवधि में श्री अजीत केसरी, आयएएस., पुनर्वास आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख राजस्व आयुक्त, तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हीरालाल त्रिवेदी द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, प्रमुख राजस्व आयुपक्त, तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-824-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनंजय सिंह भदौरिया, आयएएस., कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय सिंह भदौरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 दिसम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री एस. पी. एस. सलूजा, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व) ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. पी. एस. सलूजा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर को निम्नानुसार लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 15 से 31 मार्च 2012 तक सत्रह दिन.
2. दिनांक 30 मई से 30 जुलाई 2012 तक बासठ दिन.
3. दिनांक 6 से 21 अगस्त 2012 तक सौलह दिन.

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., तत्का. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म. प्र. को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2012 से 7 सितम्बर 2012 तक इक्कीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 18 अगस्त 2012 से 4 सितम्बर 2012 तक अठारह दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ-ए-5-30-2011-एक-(1).— राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एम. ए. सिद्दकी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1	16 अक्टूबर 2012 से 27 नवम्बर तक	43 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	अवकाश के पूर्व में दिनांक 13,14 एवं 15 अक्टूबर 2012 तक तथा पश्चात् में दिनांक 28 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ 1(ए)89-2008-ब-2-दो.—(1) श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर को दिनांक 1 नवम्बर 2012 से दिनांक 29 अप्रैल 2013 तक कुल 180 दिवस प्रसूति अवकाश, स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार कोहिमा (नागालैंड) अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्रीमती टी. आमोग्ला अईर - स्वयं
2. श्री नकुशी चुव्वा वेलिंग - पति

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)-103-05-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. मराठे, भापुसे, सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल छिन्दवाड़ा को दिनांक 8 से 12 मई 2012 तक पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत पांच दिवस के अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "चेरापूंजी, शिलॉग" (मेघालय), अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति दी जाती है:—

1. श्री आर. के. मराठे - स्वयं
2. श्रीमती रश्मि मराठे - पत्नी
3. कु. निमीषा मराठे - पुत्री
4. श्री आदर्श मराठे - पुत्र

क्र. एफ 1(ए)1-147-90-ब-2-दो.—(1) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पु. मु. भोपाल को दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खंण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत अकेले नई दिल्ली अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पु.मु. भोपाल का कार्य श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पु.मु. भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (योजना), पु.मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्र. एफ 1(ए)54-2000-ब-2-दो.—(1) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/उप निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 2 से 16 नवम्बर 2012 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17, 18 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह बांगरी, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, मकरोनिया, सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/उप निदेशक, जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक/उप निदेशक, जेएन पीए, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिला था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)145-90-ब-2-दो.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2012 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2012 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश, 2 अक्टूबर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2012 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1(ए)118-90-ब-2-दो.—(1) श्री टी. के. घोष, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 22 अक्टूबर 2012 से 5 नवम्बर 2012 तक कुल पन्द्रह दिवस को अर्जित अवकाश की, दिनांक 20 एवं 21 अक्टूबर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री टी. के. घोष, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. एस. राठौर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/उप निदेशक, जेएनपीए सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री टी. के. घोष, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री टी. के. घोष, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री टी. के. घोष, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. के. घोष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा-8 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कमलेश्वर सिंह, रीवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष की अवधि हेतु उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम नामनिर्दिष्ट करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

क्र. एफ- 4(ई)-5-2012-ए-सौलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय दुबे को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः "श्रमायुक्त" तथा "मुख्य सुलहकार" नियुक्त करता है.

No. F-4(E)-5-2012-A-XVI.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 and Sub-section (1) of Section 4 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) in supersession of all the previous notification in this respect, the State Government hereby appoints Shri Sanjay Dube to be the "Commissioner of Labour" and "Chief Conciliator" respectively for the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई) 83/03-3056-इक्कीस-ब (एक) -011-3088-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र. 17(ई)83-03-3056-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	अशोक नगर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली	मुंगावली तथा चंदेरी का समस्त विद्युत् क्षेत्र.".

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-3056-XXI.-B-(1) 011-3088-2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F.No. 17(E) 83-03-3056-XXI-B(1)-011, dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	Ashoknagar	Additional Sessions Judge, Mungaoli.	Electricity Area of Mungaoli and Chanderi.".

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई) 83/03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-3088, 3196-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 और 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	अशोक नगर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली	श्री दिलीप कुमार मित्तल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली.

(1)	(2)	(3)	(4)
81.	सागर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई.	श्री अखिलेश शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई.''.

F. No. 17(E)-83-03-3056-XXI.-B(one)-011-3088, 3196-2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment's in this Department's Notificateion F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 5 and 81 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	Ashoknagar	Additional Sessions Judge, Mungaoli.	Shri Dileep Kumar Mittal, Additional Sessions Judge, Mungaoli.

(1)	(2)	(3)	(4)
81.	Sagar	1st Additional Sessions Judge, Khurai.	Shri Akhilesh Shukla, 1st Additional Sessions Judge, Khurai.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2012

डी. क्र. 3097-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री व्ही. एन. एस. परते, राज्य प्रशासनिक सेवा, संयुक्त कलेक्टर, जिला बालाघाट को, बालाघाट जिले के अनुविभाग बैहर के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20(2) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी)03-12-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2012 द्वारा विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त अधिवक्ता, श्रीमती नूतन नागर की नियुक्ति, आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त, कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 1-2-नवम-(1) 86.—मैं, संजय दुबे, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-16, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये ''निरीक्षक'' नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रभात कुमार केशरवानी श्रम निरीक्षक	सम्पूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री शिवमोहन प्रसाद सोनी श्रम उप निरीक्षक	

संजय दुबे, श्रमायुक्त.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्र. 8363-3448-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-द्वितीय सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री संजय पाठक	सहायक वन संरक्षक
2	श्री जयराज सिंह राठौर	सहायक वन संरक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
3	श्री मनोज कटारिया	सहायक वन संरक्षक
4	कु. प्रतिभा टिटारे	सहायक वन संरक्षक
5	श्री हेमराज वट	वन क्षेत्रपाल
6	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल
7	श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
8	श्री पंकज चौहान	वन क्षेत्रपाल
9	श्री सेवक राम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल
10	कु. विनिता जाटव	वन क्षेत्रपाल
11	कु. वंदना भलावी	वन क्षेत्रपाल
12	श्री सिद्धार्थ दीपंकर	वन क्षेत्रपाल
13	कु. श्रीतिबाला ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
14	सुश्री पुष्पलता मौर्य	वन क्षेत्रपाल
15	श्री मुकेश कुमार डुडवे	वन क्षेत्रपाल
16	श्री बाबूलाल मुवेल	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
17	श्री सदगुरू चक्रधर	वन क्षेत्रपाल
	ग्वालियर संभाग	
18	श्री के. के. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
19	श्री लक्ष्मण प्रसाद आर्य	वन क्षेत्रपाल
20	श्री बी. आर. पाठक	वन क्षेत्रपाल
21	श्री दशरथ अखण्ड	वन क्षेत्रपाल
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
22	श्री रवीन्द्र कुमार ज्योतिषी	सहायक वन संरक्षक
23	कु. ज्योति मुड़िया	सहायक वन संरक्षक
24	श्री के. एस. पठ्टा	सहायक वन संरक्षक
25	श्री सीताराम नर्गेश	सहायक वन संरक्षक
26	श्री रीतेश सरोठिया	सहायक वन संरक्षक
27	कु. श्रृद्धा पन्द्रे	सहायक वन संरक्षक
28	श्री राकेश शाक्यवार	सहायक वन संरक्षक
29	श्री श्रीराम सूत्रकार	सहायक वन संरक्षक
30	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वन संरक्षक
31	श्री मुकेश अलावा	सहायक वन संरक्षक
32	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	सहायक वन संरक्षक
33	श्री संजीव कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक
34	श्री भानू प्रकाश	सहायक वन संरक्षक
35	श्री टी. एस. उईके	सहायक वन संरक्षक
36	श्री संदीप कुमार गौतम	सहायक वन संरक्षक
37	श्री डी. के. श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
38	श्री के. एल. कावरे	सहायक वन संरक्षक
39	श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल
40	कु. अर्चना नारनवरे	वन क्षेत्रपाल
41	सुश्री शैलजा ठाकुर जागेत	वन क्षेत्रपाल
42	श्री सुरेश कुमार कुशरे	वन क्षेत्रपाल
43	श्री संदीप रावत	वन क्षेत्रपाल
44	श्री देवेश खराड़ी	वन क्षेत्रपाल
45	कु. अभिश्वेता रावत	वन क्षेत्रपाल
46	श्री बसंत कुमार वरकड़े	वन क्षेत्रपाल
47	कु. सन्तोषिया मरावी	वन क्षेत्रपाल
48	श्री अरूण कुमार महाले	वन क्षेत्रपाल
49	श्री एम. एल. वरकड़े	वन क्षेत्रपाल
50	श्री कृष्ण कुमार खरे	वन क्षेत्रपाल
51	श्री जुलियस पिपलाद	वन क्षेत्रपाल
52	श्री जितेन्द्र अवासे	वन क्षेत्रपाल
53	श्री सुनील कुमार वास्तव	वन क्षेत्रपाल
54	श्री गुलाबसिंह निगंवाल	वन क्षेत्रपाल
55	श्री इन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
56	श्री हृदयलाल सिंह	वन क्षेत्रपाल
57	श्री शिलेन्द्र कुमार उइके	वन क्षेत्रपाल
58	श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
59	श्री राजेश चौहान	वन क्षेत्रपाल
60	श्री राम नरेश लोहार	वन क्षेत्रपाल
61	श्री यशपाल मेहरा	वन क्षेत्रपाल
62	श्री हरिकरण पटेल	वन क्षेत्रपाल
63	श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
64	श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
65	श्री राकेश कुमार डामर	सहायक वन संरक्षक
66	श्री रामकिशन सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
67	श्री अशोक कुमार सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
68	श्री गुणवन्त सिंह सिसौदिया	सहायक वन संरक्षक
69	श्री संतोष कुमार रनशोरे	सहायक वन संरक्षक
70	कु. पायल राजावत	वन क्षेत्रपाल
71	कु. संगीता रावत	वन क्षेत्रपाल
72	श्री गोपाल सिंह मुवेल	वन क्षेत्रपाल
73	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
74	कु. आकांक्षा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
75	कु. श्यामलता मेरावी	वन क्षेत्रपाल
76	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
77	श्री अजय सागर	वन क्षेत्रपाल
78	श्री बिसन सिंह मौर्य	
79	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
80	श्री ए. के. सिंह	सहायक वन संरक्षक
81	श्री कृष्ण बहादुर सिंह	सहायक वन संरक्षक
82	श्री शिव सेवक पटेल	सहायक वन संरक्षक
83	श्री राजेश कुमार निनामा	सहायक वन संरक्षक
84	श्री रामेश्वर उइके	सहायक वन संरक्षक
	शहडोल संभाग	
85	श्री राजेन्द्र सिंह नरगेस	वन क्षेत्रपाल
86	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
87	श्री ललित कुमार पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
88	श्रीमती संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
89	कु. प्रीति शाक्य	वन क्षेत्रपाल
90	श्री मोहन दास मानिकपुरी	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2012

शीतकालीन अवकाश बाबत् अधिसूचना

क्र. सह.अधि.-2012-स्था.-241.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक, में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 24 से 30 दिसम्बर 2012 तक (सात दिन) शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-12-12-तीन-1835.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट

किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत छनेरा, जिला खण्डवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 19 जनवरी 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 फरवरी 2007 तक **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **जिला खण्डवा** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** के पत्र दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** को कारण बताओ सूचना दिनांक 14 मार्च 2012 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** के माध्यम से दिनांक 23 मार्च 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्रीमती परवीन बी रफीक बेग को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2012 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक **7 अप्रैल, 2012** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21 जून 2012 के द्वारा लेख किया है कि नगर पंचायत छनेरा के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रतिवेदन दिनांक 21 जून 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2012 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी के पति श्री रफीक बेग को विहित समयावधि में दिनांक 21 अगस्त 2012 को कराई गई है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती परवीन बी रफीक बेग** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत छनेरा, जिला खण्डवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-12-12-तीन-1836.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत छनेरा, जिला खण्डवा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मायाबाई केवलराम** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 19 जनवरी 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 फरवरी 2007 तक **श्रीमती मायाबाई केवलराम** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **जिला खण्डवा** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** के पत्र दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार

श्रीमती मायाबाई केवलराम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मायाबाई केवलराम** को कारण बताओ सूचना दिनांक 14 मार्च 2012 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **खण्डवा** के माध्यम से दिनांक 23 मार्च 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती मायाबाई केवलराम** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्रीमती मायाबाई केवलराम को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2012 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक **7 अप्रैल 2012** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला खण्डवा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21 जून 2012 के द्वारा लेख किया है कि नगर पंचायत छनेरा के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी **श्रीमती मायाबाई केवलराम** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रतिवेदन दिनांक 21 जून 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2012 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी **श्रीमती मायाबाई केवलराम** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 28 अगस्त 2012 को कराई गई है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती मायाबाई केवलराम** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मायाबाई केवलराम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत छनेरा, जिला खण्डवा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-151-10-तीन-1851.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत गोतमपुरा, जिला इन्दौर** के आम निर्वाचन में **श्री राजेश पाटीदार** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री राजेश पाटीदार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश पाटीदार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री राजेश पाटीदार** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **इन्दौर** के माध्यम से दिनांक 22 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री राजेश पाटीदार** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना

जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री राजेश पाटीदार** को नोटिस दिनांक 22 मई 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक **6 जून 2010** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा लेख किया है कि—''श्री राजेश पाटीदार द्वारा सूचना पत्र की तामीली पश्चात् आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 25 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री राजेश पाटीदार** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री राजेश पाटीदार को संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा तहसीलदार गोतमपुरा के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 6 अगस्त 2012 को कराई गई. उरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राजेश पाटीदार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधन हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री राजेश पाटीदार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत गोतमपुरा जिला इन्दौर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-219-10-तीन-1856—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **सुश्री बहन उमादेवी** महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **कटनी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी के पत्र क्र. 260ए/व्यय लेखा प्रभारी (स्था. निर्वा. अधि.) दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री बहन उमा देवी** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2010 को अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **कटनी** के माध्यम से दिनांक 06 मार्च 2010 को तामील करवाया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री बहन उमा देवी को नोटिस दिनांक 6 मार्च 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक **21 मार्च 2010** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर कटनी से तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री बहन उमा देवी** ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. कलेक्टर कटनी से उक्त जानकारी प्राप्त

होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 अक्टूबर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री बहन उमा देवी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-219-10-तीन-1857—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **सुश्री श्रीमती रेखा जायसवाल** महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी के पत्र क्र. 260ए/व्यय लेखा प्रभारी (स्था. निर्वा. अधि.) दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती रेखा जायसवाल** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2010 को अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **कटनी** के माध्यम से दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील करवाया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती रेखा जायसवाल को नोटिस दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक **26 मार्च 2010** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर कटनी से तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर कटनी ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी **श्रीमती रेखा जायसवाल** ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. कलेक्टर कटनी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 9 अक्टूबर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती रेखा जायसवाल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-6-11-तीन-1859—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत/नगर परिषद् शाहगंज जिला सीहोर** के आम निर्वाचन में **सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगंज जिला **सीहोर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी **सीहोर** के पत्र क्र. 39/स्था.निर्वा./12, दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार** द्वारा विहित समय में निर्वाचिन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2012 को जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **सीहोर** के माध्यम से दिनांक 7 मई 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चारा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार को नोटिस दिनांक 7 मई 2011 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक **21 जुलाई, 2011** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सीहोर ने अपने पत्र दिनांक 23 अगस्त 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार** द्वारा नोटिस की तामीली उपरांत आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कलेक्टर सीहोर से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 16 अक्टूबर 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री अंगूरी संतोष अहिरवार** को इस प्रकार

चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत/नगर** परिषद् शाहगंज जिला सीहोर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 67-6-11-तीन-1860.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2011 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत/नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर** के आम निर्वाचन में **सुश्री छोटीबाई मालवीय** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत शाहगंज जिला सीहोर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 8 जनवरी 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 7 फरवरी 2011 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीहोर** के पत्र क्र. 39/स्था. निर्वा./12, दिनांक 7 अप्रैल, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री छोटीबाई मालवीय** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री छोटी बाई मालवीय** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 अप्रैल 2012 जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **सीहोर** के माध्यम से दिनांक 7 मई, 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री छोटीबाई मालवीय को नोटिस दिनांक 7 मई 2011 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक **21 जुलाई 2011** तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सीहोर ने अपने पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री छोटीबाई मालवीय** ने डाक द्वारा व्यय लेखा दिनांक 11 फरवरी 2011 को प्रस्तुत किया गया है जो कि इस कार्यालय को दिनांक 14 फरवरी 2011 को प्राप्त हुआ है, परीक्षण करने पर पाया गया कि व्यय लेखा निर्धारित दिनांक से 3 दिवस विलंब से प्राप्त हुआ है. कलेक्टर सीहोर से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री छोटीबाई मालवीय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत/नगर परिषद्** शाहगंज जिला सीहोर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्र. 112-जनगणना-छिन्दवाड़ा-2012.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (म. प्र. राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील, छिन्दवाड़ा	तहसीलदार, छिन्दवाड़ा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, छिन्दवाड़ा.	तहसील छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील, मोहखेड	तहसीलदार, माहखेड	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, मोहखेड.	तहसील मोहखेड के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील, बिछुआ	तहसीलदार, बिछुआ	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, बिछुआ.	तहसील बिछुआ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील, सौंसर	तहसीलदार, सौंसर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, सौंसर.	तहसील सौंसर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील, पान्ढुर्णा	तहसीलदार, पान्ढुर्णा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, पान्ढुर्णा.	तहसील पान्ढुर्णा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील, चौरई	तहसीलदार, चौरई	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, चौरई.	तहसील चौरई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील, चॉद	तहसीलदार, चॉद	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, चॉद.	तहसील चॉद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील, अमरवाड़ा	तहसीलदार, अमरवाड़ा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, अमरवाड़ा.	तहसील अमरवाड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	तहसील, हर्रई	तहसीलदार, हर्रई	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, हर्रई.	तहसील हर्रई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
10	तहसील, परासिया	तहसीलदार, परासिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, परासिया	तहसील परासिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	तहसील, उमरेठ	तहसीलदार, उमरेठ	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, उमरेठ.	तहसील उमरेठ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
12	तहसील, तामिया	तहसीलदार, तामिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, तामिया.	तहसील तामिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
13	तहसील, जुन्नारदेव	तहसीलदार, जुन्नारदेव	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील, जुन्नारदेव.	तहसील जुन्नारदेव के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
14	नगरपालिका, छिन्दवाड़ा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी,छिन्दवाड़ा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, छिन्दवाड़ा,	नगरपालिका छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगरपालिका, सौंसर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सौंसर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सौंसर.	नगरपालिका सौंसर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	नगरपालिका, पान्ढुर्णा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पान्ढुर्णा	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पान्ढुर्णा.	नगरपालिका पान्ढुर्णा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगरपालिका, परासिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परासिया	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, परासिया.	नगरपालिका परासिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
18	नगरपालिका, जुन्नारदेव	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जुन्नारदेव	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, जुन्नारदेव.	नगरपालिका जुन्नारदेव के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
19	नगरपंचायत, लोधीखेड़ा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लोधीखेड़ा	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, लोधीखेड़ा	नगरपंचायत लोधीखेड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
20	नगरपंचायत मोहगॉवहवेली	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मोहगॉवहवेली	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, मोहगॉवहवेली.	नगरपंचायत मोहगॉवहवेली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
21	नगरपंचायत पिपलानारायणवार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पिपलानारायणवार.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, पिपलानारायणवार.	नगरपंचायत पिपलानारायणवार के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
22	नगरपंचायत, चौरई	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चौरई	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, चौरई	नगरपंचायत चौरई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
23	नगरपंचायत, अमरवाड़ा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अमरवाड़ा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, अमरवाड़ा.	नगरपंचायत अमरवाड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	नगरपंचायत, हर्रई	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, हर्रई	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, हर्रई	नगरपंचायत हर्रई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
25	नगरपंचायत, बडकुही	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बडकुही	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, बडकुही	नगर पंचायत बडकुही के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
26	नगरपंचायत, न्यूटनचिखलीकला	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न्यूटनचिखली	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, न्यूटनचिखली	नगरपंचायत न्यूटनचिखली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
27	नगरपंचायत, चान्दामेटाबुटरिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चान्दामेटाकला	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, चान्दामेटाकला	नगरपंचायत चान्दामेटाकला के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
28	नगरपंचायत, दमुआ	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, दमुआ.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, दमुआ.	नगरपंचायत दमुआ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
29	नगरपंचायत, बिछुआ	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बिछुआ.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, बिछुआ.	नगरपंचायत बिछुआ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
30	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	सम्बन्धित गॉव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
31	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सम्बन्धित वार्ड/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए (3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : छिन्दवाड़ा
दिनांक 23 अक्टूबर, 2012

No. 112-Census-2012.—In exercise of the powers conferred vide GAD, order No. F 10-1/2012-2-A(3), Dated 16 February, 2012 Published in Madhya Pradesh Gazette dated 17 February, 2012 & under rules, 5, 16 & 18 of the Citzenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the administrative area specified against each of them in col. No.(5) of the schedule.

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Tahsil, Chhindwara	Tahsildar, Chhindwara	Sub-District Registrar, Tahsil, Chhindwara	Entire tahsil, Chhindwara (excluding urban areas).
2	Tahsil, Mohkheda	Tahsildar, Mohkheda	Sub-District Registrar, Tahsil, Mohkheda.	Entire tahsil, Mohkheda (excluding urban areas).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tahsil Bichhua	Tahsildar, Bichhua	Sub-District Registrar, Tahsil, Bichhua.	Entire tahsil, Bichhua (excluding urban areas).
4	Tahsil Sausar	Tahsildar, Sausar	Sub-District Registrar, Tahsil, Sausar.	Entire tahsil, Sausar (excluding urban areas).
5	Tahsil Pandhurna	Tahsildar, Pandhurna	Sub-District Registrar, Tahsil, Pandhurna.	Entire tahsil, Pandhurna (excluding urban areas).
6	Tahsil Chaurai	Tahsildar, Chaurai	Sub-District Registrar, Tahsil, Chaurai.	Entire tahsil, Chaurai (excluding urban areas).
7	Tahsil Chand	Tahsildar, Chand	Sub-District Registrar, Tahsil, Chand	Entire tahsil, Chand (excluding urban areas).
8	Tahsil Amarwara	Tahsildar, Amarwara	Sub-District Registrar, Tahsil, Amarwara.	Entire tahsil, Amarwara (excluding urban areas).
9	Tahsil Harrai	Tahsildar, Harrai	Sub-District Registrar, Tahsil, Harrai	Entire tahsil, Harrai (excluding urban areas).
10	Tahsil Parasia	Tahsildar, Parasia	Sub-District Registrar, Tahsil, Parasia.	Entire tahsil, Parasia (excluding urban areas).
11	Tahsil Umreth	Tahsildar, Umreth	Sub-District Registrar, Tahsil, Umreth	Entire tahsil, Umreth (excluding urban areas).
12	Tahsil Tamia	Tahsildar, Tamia	Sub-District Registrar, Tahsil, Tamia.	Entire tahsil, Tamia (excluding urban areas).
13	Tahsil Junnardeo	Tahsildar, Junnardeo	Sub-District Registrar, Tahsil, Junnardeo	Entire tahsil, Junnardeo (excluding urban areas).
14	Municipality Chhindwara	Chief Municipal Officer, Chhindwara.	Sub-District Registrar, Municipality Chhindwara.	Entire urban Area of Chhindwara Municipality.
15	Municipality Sausar	Chief Municipal Officer, Sausar.	Sub-District Registrar, Municipality Sausar.	Entire urban Area of Sausar Municipality.
16	Municipality Pandhurna	Chief Municipal Officer, Pandhurna.	Sub-District Registrar, Municipality Pandhurna.	Entire urban Area of Pandhurna Municipality.
17	Municipality Parasia	Chief Municipal Officer, Parasia.	Sub-District Registrar, Municipality Parasia.	Entire urban Area of Parasia Municipality.
18	Municipality Junnardeo	Chief Municipal Officer, Junnardeo.	Sub-District Registrar, Municipality Junnardeo.	Entire urban Area of Junnardeo Municipality.
19	Nagar Panchayat, Lodhikheda.	Chief Municipal Officer, Lodhikheda	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Lodhikheda.	Entire urban Area of Lodhikheda Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Nagar Panchayat, Mohgaon.	Chief Municipal Officer, Mohgaon.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Mohgaon.	Entire urban Area of Mohgaon. Nagar Panchayat.
21	Nagar Panchayat, Piplanarayanwar.	Chief Municipal Officer, Piplanarayanwar.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Piplanarayanwar.	Entire urban Area of Piplanarayanwar Nagar Panchayat.
22	Nagar Panchayat, Chaurai Khas.	Chief Municipal Officer, Chaurai Khas.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Chaurai Khas.	Entire urban Area of Chaurai Khas Nagar Panchayat.
23	Nagar Panchayat, Amarwara.	Chief Municipal Officer, Amarwara.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Amarwara.	Entire urban Area of Amarwara Nagar Panchayat.
24	Nagar Panchayat, Harrai.	Chief Municipal Officer, Harrai.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Harrai.	Entire urban Area of Harrai Nagar Panchayat.
25	Nagar Panchayat, Badkuhi	Chief Municipal Officer, Badkuhi.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Badkuhi.	Entire urban Area of Badkuhi Nagar Panchayat.
26	Nagar Panchayat, Neuton Chikhli kalan	Chief Municipal Officer, Neuton Chikhli kalan.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Neuton Chikhli kalan.	Entire urban Area of Neuton Chikhli kalan Nagar Panchayat.
27	Nagar Panchayat, Chandameta Butaria	Chief Municipal Officer, Chandameta Butaria.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Chandameta Butaria.	Entire urban Area of Chandameta Butaria Nagar Panchayat.
28	Nagar Panchayat, Damua.	Chief Municipal Officer, Damua.	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Damua.	Entire urban Area of Damua Nagar Panchayat.
29	Nagar Panchayat, Bichhua	Chief Municipal Officer, Bichhua	Sub-District Registrar, Nagar Panchayat, Bichhua.	Entire urban Area of Bichhua Nagar Panchayat.
30	Respective Village (s)	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/Census Town/Out Growth.
31	Respective Ward (s)	Revenue Inspector/ Health Inspector/Sanitary Inspector/Asstt. Revenue Inspector/Tax Collector	Local Registrar	Entire urban area in respective wards/Out Growth of Municipalities/Nagar Panchayat.

The sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1/2012/2-A(3) dated 16 February, 2012.

Place : Chhindwara
Date 23rd October, 2012

महेशचन्द चौधरी, जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव एवं
जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 22-अ-82-11-12-SDOK.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	छपारा	31.926	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

रा. प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	इच्छापुर	0.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	देव्हारी तालाब निर्माण हेतु.

(2) भू-अर्जन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	किल्लोद	2.01 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्र.-2, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	अम्बाखाल	2.84 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्र.-1, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	मालूद	1.50 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अंतर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, क्र.-2, खण्डवा में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	भराड़ी रैयत	निजी भूमि 1.510 हेक्टर एवं कुआं 1.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. हरसूद (खण्डवा) में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	नवलपुरा माल	कृषि भूमि रकबा 1.20 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	मोही रैयत	निजी भूमि 1.336 हेक्टर.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सुरवाड़िया	कृषि भूमि रकबा 0.77 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सुरगांव-बंजारी	कृषि भूमि रकबा 0.62 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. -अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	पिपलानी (हरसूद)	निजी भूमि 12.94 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	गंभीर सरकुलर	निजी भूमि 12.91 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	इगरिया	निजी भूमि 2.90 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	नीमखेड़ा	निजी भूमि 0.34 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	डोटखेड़ा रैयत	निजी भूमि 7.31 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सातरी	निजी भूमि 1.65 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	काशीपुरा	निजी भूमि 0.33 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	नंदगांव रैयत.	निजी भूमि 1.41 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्र.क्र. 51-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलकुँआ	आबादी भूमि कुल क्षेत्रफल 700.00 वर्गमीटर भूमि पर स्थित 3 मकान कुल निर्मित क्षेत्रफल 515.50 वर्गमीटर.	कार्यपालन अभियंता (सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा.	म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. 1112-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	धरगांव	0.007	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन	शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-8014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	घाटा	219.414	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी.	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, अपर नर्मदा परियोजना, राजेन्द्रग्राम या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82 वर्ष 12-13-9906.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	मयावाड़ी	0.389	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, मुलताई.	रिधोरा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-9907.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	रिधोरा	1.162	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, मुलताई.	रिधोरा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-9908—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	बिसखान	5.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82 वर्ष 12-13-भू-अर्जन-9909—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	खारी	1.286	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधान संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-9910.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	केकड़या	1.227	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 12-13-भू-अर्जन-9911.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	डुडरिया	5.084	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 नवम्बर 2012

पत्र क्र. 3233-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सहलोलवा	3.21	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन यौजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 3231-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित

व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	शिवपुरवा कोठार	1.62	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 7 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
रायसेन	बाड़ी	सनखेड़ा	2/2//2/1/2	1.000	0.040	कार्यपालन यंत्री, बारना बॉयी नहर संभाग, बाड़ी.	बारना दांयी नहर एम 2 डी 4 की सब माईनरें के निर्माण हेतु.
			36/2/2	4.451	0.048		
			36/2/1	2.044	0.020		
			35/1	0.955	0.020		
			20/2/1	0.567	0.040		
			34/1	4.790	0.089		
			20/1	1.133	0.076		
			21	1.513	0.036		
			33/1	1.834	0.149		
			23	2.744	0.080		
			24/1	1.619	0.068		
			24/2/2	1.007	0.028		
			24/2/1	1.396	0.040		
			25/1/1	2.226	0.020		
			25/1/3/1	0.336	0.032		
			25/1/2	1.133	0.016		
			25/1/3/2	1.890	0.101		
			25/2/2/1	1.700	0.032		
			130/1	4.856	0.182		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			109/1	1.700	0.040		
			109/3	1.700	0.080		
			109/2	1.938	0.141		
			124	1.137	0.121		
			123	0.437	0.064		
			158	3.447	0.242		
			163	1.505	0.089		
			177/1	1.157	0.016		
			177/2	1.157	0.048		
			177/3	1.157	0.040		
			177/4	1.152	0.020		
			176/1	0.809	0.020		
			176/2	0.809	0.020		
			176/3	0.809	0.016		
			176/4	0.809	0.020		
			176/5	0.809	0.008		
			176/6	0.809	0.020		
			176/7	0.809	0.020		
			176/8	0.809	0.016		
			176/9	0.809	0.020		
			176/10	0.318	0.008		
			164/1	0.951	0.121		
			164/2	0.951	2.384		
			योग . .	63.182	4.691		
रायसेन	बाड़ी	गौरा मछवाई	18/1/1	1.046	0.040		
			18/1/2	1.046	0.060		
			19/3	2.266	0.101		
			19/2/2	1.478	0.010		
			18/3/1	1.048	0.048		
			18/2/2	1.046	0.024		
			23	2.023	0.068		
			24/1	2.526	0.080		
			24/2	2.266	0.032		
			22/1	2.023	0.060		
			22/2	1.174	0.040		
			22/5	1.175	0.040		
			84/1	2.375	0.028		
			25	7.923	0.161		
			26/1	5.917	0.202		
			71	1.882	0.056		
			69	3.153	0.101		
			72/2	0.870	0.101		
			72/1	0.870	0.101		
			योग . .	42.107	1.353		
रायसेन	बाड़ी	विसेर	9/2/2/2	3.642	0.283		
			65/4/2/2//2	3.933	0.040		
			65/1	2.023	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			65/4/1	1.703	0.032		
			64/3/2	1.396	0.101		
			65/2	1.133	0.072		
			64/2	2.023	0.101		
			64/1	2.023	0.052		
			66/1	0.571	0.202		
			66/2	1.691	0.141		
			67/5	1.133	0.121		
			67/4	1.133	0.121		
			79	2.274	0.097		
			78/2/2	0.445	0.060		
			78/1	1.133	0.040		
			76/1/2	0.878	0.036		
			76/1/1	1.097	0.036		
			73/1/1/2	0.890	0.020		
			73/1/1/1	1.133	0.040		
			73/3/2/2	1.133	0.060		
			76/2/1	1.102	0.101		
			76/1/1/2	0.230	0.072		
			योग . .	32.719	1.868		
रायसेन	बाड़ी	गडरवास	75/1	1.538	0.052		
			75/2	1.769	0.048		
			74/5/2	1.133	0.012		
			74/5/1	1.133	0.016		
			74/1	1.740	0.020		
			74/2/1	1.214	0.024		
			74/2/2	1.368	0.072		
			74/3	1.133	0.040		
			74/4	1.133	0.040		
			64/4	4.453	0.032		
			64/1	0.575	0.020		
			64/3	1.213	0.052		
			48/3	1.243	0.121		
			63/1	2.842	0.101		
			50/1/4	0.889	0.080		
			50/1/3	0.889	0.080		
			50/2	0.809	0.024		
			50/3	0.809	0.024		
			51/3	0.546	0.032		
			51/2/2	0.781	0.080		
			51/2/1	0.556	0.020		
			योग . .	27.766	0.990		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, बारना बाड़ी, जिला-रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र. 8363-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम-जाटलापुर ब.नं. 144, प.ह.न. 57 रा.नि.मं. पांढुर्णा.	रकबा 17.356 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	जाटलापुर जलाशय के बांध/ नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 98-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	सूरजपुर	4.620	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के
		योग . .	4.620	स्तरीय नहर संभाग क्र.1, डबरा जिला ग्वालियर.	अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 99-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	टप्पा घाटीगांव ग्वालियर	हुकुमगढ़	0.170	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र.1, डबरा, जिला ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.170		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 114-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उटीला	3.822	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के
		योग . .	3.822	स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 1 आर एवं एम 1 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बिजौली	15.381	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 2 एल एवं एम 3 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	15.381		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 116-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सांतलपुर	0.972	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 2 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.972		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 117-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	भेलाकला	2.470	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 1 एल/ 3 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	2.470		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 118-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बहांगीकला	4.850	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 3 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.850		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 119-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बेरजा	0.870	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 4 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.870		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 120-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गोबई	5.05	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 5 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	5.05		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 121-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बहांगीखुर्द	5.897	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 1 आर 2 एल एवं 3 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	5.897		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 122-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	खरगूखेड़ा	4.421	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 3 एल, 1 एल/3 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.421		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 123-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	4.571	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 5 आर एवं एम 4 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	4.571		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 124-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुहिया	7.402	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 2 आर एवं एम 3 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	7.402		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	कैमपुरा	0.10	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 3 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.10		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 126-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	खेड़ी	2.024	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 5 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	2.024		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 127-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	अरौली	1.672	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 1 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	1.672		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चन्दपुरा	0.910	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 4 एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.910		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 129-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	5.670	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उप शाखा एम 5 आर के निर्माण हेतु.
		योग . .	5.670		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 130-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	अमरौल	2.255	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	2.255	स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा, जिला ग्वालियर.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 72-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	टप्पा घाटीगांव	पार	0.312	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	हिम्मतगढ़ तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.312		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 131-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	सेहबई	0.896	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा
		योग . .	0.896	स्तरीय नहर संभाग क्र. 1. डबरा, जिला ग्वालियर.	एवं उप शाखा के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राज़स्व विभाग

धार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

संशोधन-पत्र

क्र. 14996-भू-अर्जन-2012.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अंतर्गत ग्राम कुण्डारा तहसील कुक्षी, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना का राजपत्र में प्रकशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल को भेजी गई थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2722 लगायत 2733 पर दिनांक 13 जुलाई 2012 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटीपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है:—

प्रकाशन हुआ जो त्रुटीपूर्ण है		प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे	
सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
461/1/1/3	0.140	461/1/3	0.140
355/1	0.123	355/1क	0.123
515/2/2	0.181	515/1/2	0.181
299/2	0.596	299/1	0.596

शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.

संशोधन-पत्र

क्र. 14997-भू-अर्जन-2012.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अंतर्गत ग्राम कापसी तहसील कुक्षी, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना का राजपत्र में प्रकशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल को भेजी गई थी, जिसका प्रकाशन दिनांक 13 जुलाई 2012 राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2722 लगायत 2733 पर को हुआ. चूंकि प्रकाशन अधिसूचना अनुसार न होकर नीचे दर्शाये अनुसार प्रकाशन छूट गया है. अत: निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

निम्न सर्वे क्र. व क्षेत्रफल का प्रकाशन होना था जो नहीं हुआ अत: निम्नानुसार प्रकाशन पढ़ा जावे		निम्न सर्वे क्र. व क्षेत्रफल का प्रकाशन होना था जो नहीं हुआ अत: निम्नानुसाार प्रकाशन पढ़ा जावे.	
सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
222/2	0.160	344/5	0.013
229/2	0.085	453	0.376
433/1	0.380	454	0.052
249/2	0.160	455	1.913
318/4	0.199	457	0.324
337/2	0.199	459	0.428
299/3/4	0.031	260	1.003
344/2/1	0.014	315/1ख	1.087
344/2/5	0.052	315/4	0.063
426/2	0.277	404	0.178
439/2	0.248	405	0.021
433/1	0.689	407	0.272
480/1	0.385	408	1.515
488/2	0.300	409	0.293
488/4	0.060	411	0.293
335/2	0.178	412	0.031
248/3	0.290	414	1.139
339/3	0.460	477/3	0.510
445	0.240	257/2	0.148
447/1	0.252	274/2	0.055
478/4	1.020	331/4	0.074
255/3	0.172	243/1	0.100
334/1	0.232	232	0.272
234/6	0.380	508	1.432
271, 272/2	0.622	428/1	0.548
272/8	0.205	436/1	0.850
272/9	0.195	346/1	0.543
235/1	0.193	306/3	0.064
240/2	0.022	346/3	0.272
301/1	0.414	347/2	0.032
242/2	0.476	306/4	0.080
242/1	0.579	449	0.230
468/2	0.534	137/2	0.100
258/2, 259/4	0.146	475	1.275
281/3	0.261	493	1.735
355/3	0.188	494	0.042
364/2	0.732	256/1	0.178
338/1	0.261	415	0.585
223/1	0.452	418	0.742
229/4	0.164	136	0.150
230	0.031	153/1	0.295
324/2	0.261	319/1	0.543
324/5	0.146	322	0.637
330/2	0.063	490/4	1.233

शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.

संशोधन-पत्र

क्र. 14999-भू-अर्जन-2012.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अंतर्गत ग्राम रामपुरा तहसील कुक्षी, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना का राजपत्र में प्रकशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल को भेजी गई थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2719 लगायत 2722 पर दिनांक 13 जुलाई 2012 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटीपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है:—

प्रकाशन हुआ जो त्रुटीपूर्ण है		प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे	
सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
320/1/6	0.125	329/1/6	0.125

शेष प्रकाशन यथावत् माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 48-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9487.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—पचधार
(घ) पटवारी हल्का नंबर—118
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.938 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
181/6	0.121
181/3	0.121
177/2	0.080
177/4	0.176
177/5	0.320
160/2	0.160
159/3	0.160
70/4	0.040
70/3	0.200
74/3	0.100
74/2	0.080
158/1	0.320
158/2	0.060
योग . .	1.938

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पचधार जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 50-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9488.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—मोरंड
(घ) पटवारी हल्का नंबर—126
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.644 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
45	0.097
46/1	0.385
47	0.097

(1)	(2)
39/1	0.065
योग . .	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छिंदवाड़ जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र. 8384-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-टॉप, प.ह.नं. 40, ब.नं. 111, रा.नि.मंडल-चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.413 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
431/1	0.002
431/4	0.101
431/7	0.088
431/8	0.020
432, 433	0.129
443, 444, 445, 447	0.073
योग . .	0.413

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

क्र. 8386-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पिपरियाखाती, प.ह.नं. 40, ब.नं. 167, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.543 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
268/5	0.044
268/6	0.035

(1)	(2)
269/2, 270/3	0.121
270/2	0.101
270/4	0.072
270/7	0.085
271/1	0.049
271/3	0.036
योग . .	0.543

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग संभाग सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8387-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बांसखेड़ा, प.ह.नं. 42/90 ब.नं. 205, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.745 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
14/5	0.363
14/16	0.141
15/2, 16/2	0.036
17/5	0.032
17/6	0.024
17/7	0.024
17/1	0.024
81/17	0.040
81/18	0.061
योग . .	0.745

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8389-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-साजपानी, प.ह.नं. 39, ब.नं. 272, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉं.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
598/1	0.190
598/2	0.070
योग . .	0.260

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सांख हलालखुर्द मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12-गढ़ा-812.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—गुना

(ग) नगर/ग्राम—गढ़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.116 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
807/1 में से	0.200
807/2 में से	0.200
809/4 में से	0.716
कुल योग . .	1.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुना-रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12-बमोरी बुजुर्ग-813.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना

(ख) तहसील—गुना

(ग) नगर/ग्राम—बमोरी बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.322 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4 में से	0.322
कुल योग . .	0.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुना-रूठयाई बडी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12-ढोलबाज-814.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—ढोलबाज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.240 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/1/2 में से	0.502
101/1/1 में से	0.261
104/1/1 में से	0.031
104/1/2 में से	0.272
105/1/1 मिन में से	0.082
105/1/1 मिन	0.023
105/1/2 में से	0.084
105/1/3 में से	0.220
106 में से	0.486
109 में से	0.763
128/1 में से	0.035
129 में से	0.481
कुल योग . .	3.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुना-रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12-महूगढ़ा-815.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—महू गढ़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.388 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3 में से	0.007
4/1 में से	0.129
4/2 में से	0.188
8 में से	0.591
7 में से	0.202
1/6 ग-में से	0.004
11 में से	0.078
12 में से	0.005
10 में से	0.987
21 में से	0.083
23/1 में से	0.001
22 में से	0.051
23/2 में से	0.037
23/270/1 में से	0.037
23/270/2 में से	0.037
25 में से	0.036
26 में से	0.188
27 में से	0.047
32 में से	0.008
35/1 में से	0.066
35/2 में से	0.067
38 में से	0.207
48 में से	0.135
49 में से	0.051
50/1 क में से	0.300
50/1 ख में से	0.299
50/3 में से	0.134
51 में से	0.413
कुल योग . .	4.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुना-रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व गुना तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—पिपरोधा, सिहरा, बरखेरा केशव, पेमूखेडी, भटेरा, भियाना, अहरोरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.48 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—पिपरोधा	
84 में से	0.04
254 में से	0.05
88 में से	0.08
89 में से	0.08
90 में से	0.12
91 में से	0.03
269/564 में से	0.01
92 में से	0.06
93 में से	0.08
269/2 में से	0.02
269/563 में से	0.02
271 में से	0.03
95 में से	0.05
252 में से	0.09
249 में से	0.01
251 में से	0.02
248 में से	0.01
154/1 में से	0.02
247 में से	0.01
246 में से	0.02
245 में से	0.06
99 में से	0.02
94/2 में से	0.02
94/1 में से	0.03
96/3 में से	0.01
98/1 में से	0.03
100/1 में से	0.01
96/4 में से	0.01
97 में से	0.01
98/2 में से	0.03
98/4 में से	0.02
250 में से	0.05
98/3 में से	0.02
106 में से	0.05
104, 105 में से	0.01
107 में से	0.01
111/1 में से	0.01
111/2 में से	0.01
243 में से	0.05
242 में से	0.02
238, 239 में से	0.02
233/1 में से	0.04
155/1 में से	0.01
232/1 में से	0.05
332 में से	0.02
329/1 में से	0.02
329/2 में से	0.03
230 में से	0.07
229 में से	0.05
226 में से	0.01
218/2 में से	0.04
220 में से	0.02
330/1 में से	0.02
330/2 में से	0.07
331 में से	0.01
218/1 में से	0.01
209 में से	0.06
203 में से	0.06
214 में से	0.01

(1)	(2)
213 में से	0.07
183 में से	0.02
202 में से	0.01
184 में से	0.02
185 में से	0.04
182/1 में से	0.01
182/2 में से	0.05
153 में से	0.02
155/2 में से	0.08
154/3 में से	0.03
154/2 में से	0.01
156/5 में से	0.06
166 में से	0.02
180 में से	0.01
181 में से	0.01
158 में से	0.09
164/1, 164/2 में से	0.05
85 में से	0.02
256 में से	0.01
215 में से	0.01
योग :	2.59

ग्राम—सिहेरा

672/1 में से	0.02
667/1 में से	0.01
663/1 में से	0.01
679/1 में से	0.03
672/2 में से	0.04
667/3 में से	0.01
663/3 में से	0.01
679/3 में से	0.03
667/2 में से	0.01
663/2 में से	0.01
679/2 में से	0.04
670 में से	0.02
664/3 में से	0.01
664/2 में से	0.02
664/1 में से	0.02
662 में से	0.01

(1)	(2)
660 में से	0.01
661/1 में से	0.02
683/1 में से	0.01
658, 659 में से	0.01
611 में से	0.01
577 में से	0.01
560 में से	0.01
656 में से	0.01
612/1 में से	0.03
431/1 में से	0.01
612/2 में से	0.02
557/2 में से	0.01
583/2 में से	0.03
431/2 में से	0.01
575 में से	0.02
651 में से	0.01
676/1 में से	0.06
609 में से	0.01
676/2 में से	0.02
680 में से	0.01
681 में से	0.01
682/1 में से	0.01
682/2 में से	0.01
684 में से	0.01
687/1 में से	0.01
687/2 में से	0.01
688 में से	0.04
683/2 में से	0.01
604 में से	0.04
623 में से	0.01
593 में से	0.03
531 में से	0.01
548 में से	0.02
618 में से	0.02
602/1 में से	0.03
620/1 में से	0.01
571/1 में से	0.01
566/1 में से	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
551/1 में से	0.01	558, 559 में से	0.01
602/2 में से	0.04	567 में से	0.01
620/2 में से	0.01	570 में से	0.01
571/2 में से	0.01	574 में से	0.01
566/2 में से	0.02	578 में से	0.04
551/2 में से	0.01	423/1 में से	0.10
601 में से	0.06	430/2 में से	0.01
556 में से	0.01	428 में से	0.02
597/2, 598, 600 में से	0.01	262 में से	0.02
553 में से	0.01	426 में से	0.10
599 में से	0.01	422/1 में से	0.01
552 में से	0.01	610 में से	0.01
597/1 में से	0.02	606, 607/2 में से	0.01
554 में से	0.01	263 में से	0.01
596 में से	0.07	259 में से	0.05
568/2 में से	0.01	261 में से	0.08
579 में से	0.02	277 में से	0.11
572/2 में से	0.01	278 में से	0.26
580, 581 में से	0.05	280 में से	0.07
547/1, 547/2 में से	0.03	330 में से	0.04
540/2 में से	0.01	276/3 में से	0.03
533 में से	0.01	276/1 में से	0.01
536/2 में से	0.01	279/5 में से	0.01
540/1 में से	0.01	276/2 में से	0.01
543 में से	0.01	279/1 में से	0.02
564 में से	0.01	279/3 में से	0.04
429 में से	0.01	279/4 में से	0.11
541, 542/1 में से	0.03	295 में से	0.01
569 में से	0.01	332 में से	0.01
542/2 में से	0.01	331 में से	0.05
545 में से	0.01	328/2 में से	0.01
546 में से	0.02	329/2 में से	0.02
549 में से	0.01	328/1 में से	0.01
572/1 में से	0.01	329/1 में से	0.01
550 में से	0.02	294 में से	0.01
432 में से	0.08	296 में से	0.01
555/1 में से	0.01	299 में से	0.02
555/2 में से	0.01	297/3 में से	0.05

(1)	(2)
302 में से	0.05
308 में से	0.03
307 में से	0.01
316 में से	0.08
306 में से	0.03
327/1, 327/3 में से	0.04
327/2 में से	0.01
326/4, 326/5 में से	0.01
326/2 में से	0.01
326/6 में से	0.02
326/3 में से	0.01
312 में से	0.03
310 में से	0.02
652 में से	0.09
605 में से	0.03
621 में से	0.01
682/2 में से	0.01
298 में से	0.02
योग :	3.59

ग्राम—बरखेरा केशव

80 मे से	0.02
81/2 में से	0.01
81/1 में से	0.01
142, 143/1 में से	0.02
87 में से	0.01
86 में से	0.01
139 में से	0.08
141 में से	0.03
90 में से	0.01
140 में से	0.01
92 में से	0.03
97/2 में से	0.01
56 में से	0.02
28 में से	0.06
15, 16 में से	0.01
14, 13/2 में से	0.01
13/1 में से	0.01
9, 8/1, 8/2 में से	0.03

(1)	(2)
6/2, 6/3 में से	0.05
4/1, 5/2 में से	0.01
2 में से	0.02
99 में से	0.04
46 में से	0.02
24 में से	0.01
23 में से	0.04
25 में से	0.01
26/2 में से	0.04
26/1 में से	0.04
10 में से	0.01
11 में से	0.01
50/3 में से	0.01
योग :	0.70

ग्राम—पेमूखेडी

175/1 में से	0.01
184/1 में से	0.01
175/2 में से	0.01
184/2 में से	0.01
174 में से	0.06
162 में से	0.06
183 में से	0.07
161 में से	0.06
182 में से	0.03
177 में से	0.01
109 में से	0.01
117 में से	0.01
146/1 में से	0.01
146/2 में से	0.01
146/3 में से	0.01
146/5 में से	0.01
144/2, 144/3 में से	0.02
144/1 में से	0.03
110 में से	0.01
111, 112 में से	0.01
114 में से	0.01
115 में से	0.01
120 में से	0.01
44, 45 में से	0.04

(1)	(2)
118 में से	0.03
51/2 में से	0.02
51/1 में से	0.02
49 में से	0.01
23 में से	0.01
18, 19 में से	0.09
41/2, 41/3, 41/4, 43/2 में से	0.07
43/1 में से	0.01
41/5 में से	0.01
41/1 में से	0.01
1 में से	0.07
योग :	0.88

ग्राम—भटेरा

83 में से	0.25
86 में से	0.25
85 में से	0.05
92 में से	0.02
95 में से	0.09
96 में से	0.07
98/1 में से	0.03
98/2 में से	0.10
113/2 में से	0.08
98/3 में से	0.04
98/4 में से	0.03
योग :	1.01

ग्राम—भियाना

260/1 में से	0.02
261/1 में से	0.01
261/2 में से	0.01
261/3 में से	0.01
261/4 में से	0.01
285 में से	0.01
287/1 में से	0.01
287/2 में से	0.01
287/3 में से	0.02
287/4 में से	0.01
289 में से	0.01
297 में से	0.01
298 में से	0.01
302/2 में से	0.01
302/2 में से	0.01
303 में से	0.01
304 में से	0.01
305/1 में से	0.01
योग :	0.20

ग्राम—अहरोरा

368 में से	0.01
369 में से	0.02
376/2 में से	0.01
402, 403/2 में से	0.01
388 में से	0.02
403/1 में से	0.01
403/3 में से	0.01
404 में से	0.01
287 में से	0.01
284 में से	0.01
283 में से	0.02
409/2 में से	0.03
410 में से	0.05
282 में से	0.01
409/1 में से	0.02
371/2 में से	0.01
281 में से	0.01
280 में से	0.01
279 में से	0.01
278 में से	0.01
406/3 में से	0.01
408 में से	0.01
276/1, 277 में से	0.01
276/2, 276/5 में से	0.01
406/2 में से	0.01
276/3 में से	0.01
276/4 में से	0.01
275 में से	0.01
406/1, 407/3 में से	0.01

(1)	(2)
407/2 में से	0.01
409, 499 में से	0.02
416/1 में से	0.03
425/2 में से	0.01
374 में से	0.01
373/1 में से	0.01
373/2 में से	0.01
372 में से	0.01
371/1 में से	0.01
योग :	0.51
पिपरोधा :	2.59
सिहेरा :	3.59
बरखेरा केशव :	0.70
पेमूखेडी :	0.88
भटेरा :	1.01
भियाना :	0.20
अहरोरा :	0.51
महायोग :	9.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बकायन-पिपरोधा-सकतपुर-रियाना-बम्होरी-खडेरी मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.) दमोह, संभाग दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 3 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 9-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि पर्यटकों की सुविधा एवं यथा सूचना एवं व्याख्या केन्द्र, जनजातीय हेरिटेज पार्क, पर्यटक वाहन स्थानक कार्य शाला प्रदर्श स्थल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रबंध कराने हेतु पुरातत्व विभाग, भोपाल के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—गौहरगंज
(ग) ग्राम—भिंयापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.711 हेक्टर.

खसरा नं.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में) अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
199	0.530	0.530
200/1	0.449	0.449
200/2	0.449	0.449
200/3	0.450	0.450
206/1	0.526	0.526
206/2	0.498	0.498
207	0.809	0.809
योग .	3.711	योग : 3.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—पर्यटकों की सुविधा एवं यथा सूचना एवं व्याख्या केन्द्र, जनजातीय हेरिटेज पार्क, पर्यटक, वाहन स्थानक कार्य शाला प्रदर्श स्थल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रबंध कराने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 1886भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) ग्राम—कूंड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.51 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
481	0.02
494/2249	0.04
494/2248	0.04
494/2247	0.01
482	0.08
491	0.14
492	0.01
489	0.13
487	0.03
488	0.05
381	0.16
486	0.12
485	0.07
426	0.07
471	0.11
427	0.07
455	0.06
452	0.03
454	0.21
453	0.10
396	0.09
451	0.04
449	0.09
430	0.07
428	0.05
429	0.05
450	0.01
394	0.20
385	0.16
395	0.08
392	0.01
393	0.01
380	0.07
382	0.03
योग :	2.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— कासना नाला तालाब लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-118-(अ-82)-2011-2012-497.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—किकरिया, प. ह. नं. 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.606 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा(हेक्टर में)
(1)	(2)
301	0.136
300/1	0.048
300/2	0.040
299	0.092
272/2	0.020
272/1	0.020
270/1	0.016
270/2	0.016
269	0.132
192	0.112
189	0.176
147	0.008
149/1	0.022
149/2	0.022
150	0.128
151/1	0.060
151/2	0.068
152	0.016
153/1	0.046
153/2	0.046
153/3	0.046
142	0.112
143/1	0.040
143/2	0.040
योग . .	1.462
शासकीय भूमि	
271, 268	0.144
कुल योग . .	1.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रनगाँव जलाशय हेतु ग्राम किकरिया की बाँयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-119-(अ-82)-2011-2012-498.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—रनगाँव, प. ह. नं. 58

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.788 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
302	0.044
289	0.016
287/1	0.025
287/2	0.025
287/3	0.025
287/4	0.025
287/5	0.025
287/6	0.025
287/7	0.025
282	0.030
284	0.128
285	0.060
250/1	0.108
250/2	0.108
249	0.048
248/1	0.005
248/2	0.005
248/3	0.005
238	0.128
237	0.068
233/1	0.034
233/2	0.034
233/3	0.034
233/4	0.034
227/1	0.005
277/2	0.005
226	0.028
225	0.108
224	0.020
223	0.048

(1)	(2)
218	0.100
215/1	0.034
215/2	0.034
214	0.024
213	0.064
182	0.052
181	0.024
179/1	0.068
179/2	0.068
योग . .	1.746

शासकीय भूमि

180, 219	0.042
योग . .	1.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रनगाँव जलाशय हेतु ग्राम रनगांव बाँयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्र. 1114-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 25-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—ककवाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.652 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/2	0.202
29	0.240
5/3	0.214
5/4/5	0.133
74/2	0.110
75/2/2	0.135
6	0.130
14/2	0.186
7/1	0.070
14/1/4	0.049
7/2	0.138
14/1/2	0.010
7/3	0.138
69/1	0.040
14/1/1	0.005
7/4	0.193
14/1/3	0.020
25/1	0.040
69/2	0.030
8	0.240
15/1	0.270
15/3	0.190
15/2	0.550
16	0.520
72	0.300
120	0.150
23/3	0.040
24	0.380
73/2	0.160
73/1/1	0.090
75/2/3	0.030
73/1/2	0.080
75/2/1	0.180
5/7 75/1 76	1.190
78/1	0.200
111/4	0.320
79/2	0.170
111/2	0.600

(1)	(2)
78/1/2	0.603
111/6	0.010
111/3	0.660
111/5	0.600
113, 114/1	0.050
114/2/1	0.286
114/2/2	0.480
114/2/3	0.445
115/1	0.020
115/2	0.165
115/3	0.665
116/1	0.393
117/1	0.381
118/2	0.150
118/6	0.010
118/4	0.121
118/5	0.121
119/1	0.280
119/2	0.310
119/3	0.320
121/1/4	0.180
123/1/2/1	0.320
123/1/3/1	0.180
123/1/4/1	0.125
124/1/5	0.050
123/1/2/2	0.010
123/2/1	0.125
123/1/6	0.010
124/1/4	0.650
125/2/1/1 138/3/1/1	0.190
125/1/2	0.640
125/2/1/2 138/3/1/2	0.070
125/2/2/1 138/3/2/1	0.150
125/2/2/2 138/3/2/2	0.170
125/3/1	0.140
125/3/2	0.140
125/4	0.320
137/5	0.200
137/6	0.460
138/5	0.050
139/6	0.010
139/5	0.780
70	0.060
117/2	0.809
योग. .	19.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1113-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 26-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—सेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.727 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
36, 37/1	0.030
40	0.040
41/2, 42/1क	0.500
43/1, 43/2, 44/1, 44/2	0.600
48/4	0.283
48/17	0.202
48/27	0.121
48/37	0.121

(1)	(2)
48/42	0.010
53/6	0.040
48/19	0.390
48/47	0.190
48/20	0.080
48/26	0.020
53/17	0.324
53/30	0.090
48/18	0.040
48/28	0.121
49/13	0.010
52/2/3, 53/1/3	0.166
53/18	0.090
53/26	0.105
53/28	0.060
53/53	0.121
53/29	0.120
53/40	0.036
53/38	0.036
53/42	0.038
53/43	0.210
53/48	0.105
53/41	0.005
54/1	1.040
86/1/1	0.110
86/1/2	0.200
86/1/3	0.351
86/2	0.270
88	1.070
87/1	0.202
87/3	0.081
87/5	0.121
97/1, 98/2	0.160
87/2	0.081
87/6	0.105
87/16	0.133
97/4	0.100
87/4	0.073
87/10	0.093
87/15	0.045
87/7	0.089
87/17	0.053
87/21	0.073
97/3	0.218
87/8	0.073
87/13	0.057
87/20	0.081
87/9	0.073
87/12	0.061
87/19	0.089
87/11	0.073
87/14	0.057
87/18	0.081
97/2	0.251
98/3	0.121
101/1	0.110
101/5	0.360
100/1	0.290
100/2	0.365
104/1	1.060
100/3	0.270
100/5	0.665
112/1	0.470
101/2	0.190
101/10	–
101/13	0.138
101/15	0.120
101/3	0.260
101/7	–
101/14	0.025
101/16	–
101/4	0.437
101/12	0.138
101/17	0.040
101/6	–
101/9	0.040
101/19	0.190
104/2	0.390
111/1	0.050
111/2	0.130
योग. .	15.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1578-भू-अर्जन-12-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—सढ़ेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
18/1/क, 18/1/ख	0.218
25/1	0.203
26	0.012
27/1	0.157
16/2/क, 16/2/ख	0.010
निजी खाता भूमि योग . .	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेंट प्लांट के ओएलबीसी निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-1579-भू-अर्जन-12-6-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—सन्नई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.409 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
46	0.310
43	0.099
निजी खाता भूमि योग . .	0.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेंट प्लांट के ओएलबीसी निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-1580-भू-अर्जन-12-6-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—इटहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.983 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201/1क	0.006
201/1ख	0.114
201/2	0.032
368	0.009
369	0.254
367/1	0.080
311	0.201
310	0.029
291	0.156
306/1	0.102
निजी खाता भूमि योग . .	0.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रिलायंस सीमेंट प्लांट के ओएलबीसी निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 50-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—टोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.412 हेक्टेयर.

फार्म—एक (3)
(ग्राम—टोड़ा)

ग्राम टोड़ा में नवीन नहर का निर्माण हेतु आने वाली कृषिकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे नं.	सर्वे नम्बर का कुल रकबा (हेक्टयर में)	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
173/1	0.516	0.076
175/2	1.578	0.136
309 मिन	0.982	
309 मिन	0.982	0.131
309 मिन	4.338	
314	2.114	0.081
315/1	0.052	0.017
316/1	0.042	
316/2	0.253	
316/3	0.252	0.313
316/4	0.253	
316	0.511	
318/2	0.083	0.083
319	2.112	0.246
320	0.118	0.032
321 मिन	0.679	0.297
321 मिन	0.324	
	योग :	1.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 33-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—हिम्मतगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.107 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
257	0.408	0.063
259	0.251	0.146
261	0.690	0.146
262	0.073	0.031
263 मिन	0.052	0.094
263 मिन	0.053	-
265	0.387	0.010
266	0.115	0.105
267	0.146	0.021
292	0.324	0.021
296	0.334	0.021
298	0.523	0.157
299, 300	0.387	0.125
301	0.554	0.073
309	0.199	0.010
313	0.293	0.105
314	0.564	0.209
316	0.815	0.188
359	0.732	0.084
360	0.272	0.134
361	0.345	0.052

(1)	(2)	(3)
362 मिन 1	0.366	–
362 मिन 2	0.825	0.010
383	0.961	0.021
384	0.115	0.021
385	0.251	0.115
387/मिन 1, 388/मिन 1	0.115	0.094
387/मिन 2, 388/मिन 2	0.105	0.052
389, 390, 391	0.816	0.115
393	–	0.084
392	0.366	0.136
441	0.208	0.042
442	0.523	0.073
443	0.345	0.031
444	0.136	0.031
448	0.094	0.073
449	0.230	0.010
451	0.366	0.063
452	0.115	0.031
453	0.105	0.073
456	1.003	0.188
465	0.846	0.084
466	0.282	0.042
467	0.889	0.084
483	2.006	0.136
514/1	0.181	–
514/2	0.181	0.115
514/3	0.181	–
515	0.094	0.031
517	0.836	0.157
518	1.108	0.230
529	0.533	0.063
530	0.261	0.105
योग . .	21.960	4.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हिम्मतगढ़ तालाब की दांयी तट नहर की वितरकाओं निर्माण हेतु.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 49-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—उर्वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.558 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
104	0.491	0.10
105/1 मिन	0.157	
105/2 मिन	0.209	
105/2 मिन	0.209	
105/3 मिन	0.418	0.293
105/3 मिन	0.418	
105/3 मिन	0.627	
105/3 मिन	0.219	
105/3 मिन	0.627	
106/1 मिन	0.324	0.272
106/2 मिन	0.324	
109	0.314	0.10
110	0.523	0.21
112/1 मिन	0.366	0.314
112/2 मिन	0.773	
115	0.481	0.042
116	0.334	0.146
118/1 मिन	0.658	0.167
118/2 मिन	0.136	
994	0.324	0.084
996	1.045	0.209
997/1 मिन	0.549	0.157
997/2 मिन	0.548	

(1)	(2)	(3)
998	0.752	0.073
1005	1.745	0.178
1007	1.830	0.282
1009	1.547	0.115
1017/1018/1019 मिन	0.477	0.094
1017/1018/1019 मिन	0.477	0.105
1017/1018/1019 मिन	0.476	
1017/1018/1019 मिन	0.152	
10171018/1019 मिन	0.609	
1017/1018/1019 मिन	0.153	
1021	2.895	0.408
1027	1.724	0.105
1030	2.445	0.115
1043/1	0.836	0.314
1043/2	1.066	
1044	1.076	0.178
1046 मिन	0.360	0.209
1046 मिन	0.361	
1046 मिन	0.209	
1046 मिन	0.209	
योग . .	29.473	4.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है:

प्र. क्र. 45-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—बनवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.139 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
554	0.512	0.097
557	1.714	0.182
570	0.711	0.125
571 मिन-1	0.418	0.182
571 मिन-2	0.261	
625 मिन-1	0.345	0.148
625 मिन-2	0.627	
626	1.379	0.280
640/1 मिन 1	0.360	0.195
640/1 मिन 2 क	0.936	
640/1 मिन ख	0.115	
648/1	0.272	0.363
648/2 मिन-1	0.564	
648/2 मिन-2	0.052	
648/2 मिन-3	0.052	
648/3	0.491	
648/4	1.244	
648/5 मिन-1	0.026	
648/5 मिन-2	0.026	
648/6	0.690	
646	0.397	0.045
650/1	0.157	0.157
650/2 मिन-1	0.209	0.188
650/2 मिन-2	0.021	
650/2 मिन-3	0.230	
650/2 मिन-4	0.240	

(1)	(2)	(3)
933	0.418	0.057
935	0.366	0.137
938	0.470	0.102
940	0.784	0.114
942	0.303	0.085
943	0.084	0.012
944	0.470	0.022
1031	0.209	0.022
1036	0.094	0.057
1037	0.084	0.022
1038	0.105	0.006
1041/1	0.303	0.030
1041/2	0.073	
1123/1	0.099	
1123/2	0.099	0.030
1123/3	0.199	
1124/1	0.157	0.023
1124/2	0.209	
1127	0.512	0.036
1131	0.418	0.123
1137	0.157	0.036
1140	0.439	0.067
1141	0.0345	0.010
1145/1	0.110	
1145 मिन 2	0.025	
1145/3	0.033	0.030
1145/4	0.016	
1145/5	0.033	
1146	0.167	0.030
1147	0.178	0.046
1148	0.021	0.011
1149	0.157	0.041
1151	0.209	0.017
1360	0.230	0.092
1361/1	0.171	
1361/2	0.171	0.137
1361/3	0.170	

(1)	(2)	(3)
1362/1	0.366	
1362/2	0.376	
1362/3	0.365	0.180
1362/4	0.073	
1362/5	0.084	
1368/1	0.136	
1368/2	0.251	0.033
1368/3	0.146	
1369	0.867	0.115
1370/1	0.645	
1370/1 मिन 2	0.644	
1370/1 मिन 3	0.644	0.090
1370/2	0.073	
1370/3	0.230	
1370/4	0.178	
1772/1	0.408	
1772/2 मिन-1	0.233	
1772/2 मिन-2 क	0.658	
1772/2 मिन-2 ख	0.219	
1772/2 मिन-3	0.233	
1772/2 मिन-4	0.553	
1772/2 मिन-5	0.529	0.494
1772/2 मिन-6	0.877	
1772/2 मिन-7	0.877	
1772/2 मिन-8	0.233	
1772/2 मिन-9	0.877	
1452	0.857	0.198
1457	0.930	0.189
1458/ मिन-1	0.643	0.074
1458/मिन-2	0.642	
1459	0.418	0.046
1460	0.408	0.088
1470	1.735	0.148
1471	0.752	0.041
1476	2.330	0.240
1477	2.069	0.068

(1)	(2)	(3)
1478/1	1.097	0.080
1478/1	1.097	
1596	0.596	0.020
1598	0.606	0.090
1599/मिन–1	0.836	0.206
1599/मिन–2	0.418	
1600	1.024	0.206
1624	1.996	0.378
1631	0.972	0.228
1679	1.035	0.331
1684/मिन–1	0.450	0.100
1684/मिन–2	0.449	
1685	0.512	0.091
1686	0.533	0.091
1687/1	0.533	0.180
1687/1	0.533	
1688	0.031	0.018
1712	2.006	0.031
1713	1.006	0.145
1716	0.575	0.064
1717	0.878	0.152
1718	1.024	0.062
2984	1.630	0.160
2985	0.993	0.195
2988	1.359	0.180
3005	1.714	0.297
3020	1.442	0.216
3021	1.693	0.162
3022	1.693	0.205
3023	1.442	0.007
3024/मिन/1	0.690	0.195
3024/मिन/2	0.690	
3026	1.463	0.128
3032	1.484	0.134
3044/मिन–1	0.148	0.081
3044/मिन–2	0.408	
3044/मिन–3	0.876	
1452	0.857	0.036
1456	2.874	0.320
1458/मिन–1	0.643	0.230
1458/मिन–2	0.642	
1605	1.014	0.103
1606	0.658	0.058
1607	1.390	0.104
1610	0.909	0.186
1611	1.944	0.308
1613	1.150	0.114
1615	1.087	0.180
1616	1.839	0.041
1693	1.118	0.217
1694	0.982	0.313
1697	2.09	0.320
1699	1.014	0.159
1700/मिन–1	0.262	0.007
1700/मिन–2	0.262	
1701	1.306	0.194
1704	0.428	0.114
1706/मिन–1	1.070	0.149
1706/मिन–2	0.268	
1706/मिन–3	0.268	
1706/मिन–4	0.268	
1706/मिन–5	0.268	
3000	1.891	0.159
योग . .	103.819	13.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरकाओं के निर्माण हेतु.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिन्ध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 66-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—बेरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.986 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)		अर्जित किये जानें वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)		(3)
236	5.047		0.487
237	0.188		0.048
238	0.188		0.042
239	0.199		0.042
240	0.188		0.034
241	0.920		0.052
227	1.139		0.061
244/1	0.877		
244/2	0.055	2.559	0.442
244/3	0.627		
247/1	0.836		
247/2	0.836	2.405	0.318
247/3	0.733		
248/1 मिन	0.384		
248/1 मिन	0.418	2.405	0.318
248/2 मिन	0.801		
248/3 मिन	0.802		
275	3.742		0.373
276	4.338		0.544
270 मिन	0.418		
270 मिन	1.279		
270 मिन	1.279	14.246	0.378
270 मिन	2.633		
270 मिन	0.941		
270 मिन	0.993		
270 मिन	6.703		
277	0.418		0.048
278	1.045		0.006
279	1.379		0.166
127	1.233		0.131
128 मिन	0.585		
128 मिन	0.293	1.171	0.156
128	0.293		
130 मिन	0.324	0.648	0.156
130 मिन	0.324		
136/1	0.371		
136/2	0.371	1.851	0.010
136/3	0.742		
137	0.866		0.059
138	0.021		0.021
139/1	0.463		
139/2	0.462	0.648	0.046
139/3	0.463		
139/4	0.463		
140	1.222		0.195
141	0.637		0.078
142 मिन	0.324	0.648	0.117
142 मिन	0.324		
174	0.533		0.035
177	2.121		0.304
178 मिन	0.757	1.515	0.319
178 मिन	0.758		
		योग :	4.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 79-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—टप्पा घाटीगांव
(ग) ग्राम—पार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.303 हेक्टर.

सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1217	0.052
1218	0.251
योग . .	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-83-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—जतर्थी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.986 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
362	1.757	0.411
372	0.240	0.105
373	0.021	0.018
392 मि.	0.533	0.116
392 मि.	0.048	
387	0.303	0.043
391	0.805	0.105
389	0.199	0.110
383	1.390	0.073
215	0.178	0.086
219	0.052	0.020
220	0.157	0.050
221/1 मि.	0.052	0.035
221/3 मि.	0.105	(12 से 15 तक)
221/3 मिन	0.073	
221/2 मिन	0.084	
253/1	0.627	0.242
253/2 मिन	0.418	
253/2 मिन	0.627	
218/1 मि	0.627	0.081
218/2	0.052	
218/1 मि	2.039	
218/1 मि	2.875	
218/1 मि	0.334	
218/2	0.157	
252	0.0261	0.020
251	0.606	0.121
251/1 मिन	0.021	
251 मिन	0.303	
251 मिन	0.711	
54	1.547	0.166
55	0.157	0.020
49	0.418	0.025
56/1	0.627	0.171
56/1ख	0.627	(स. क्र. 28 से 35 तक)
56/2	0.418	
56/4	0.052	
56/3 मि	0.418	
56/3 मि	0.836	
56/3 मि	0.418	
56/3 मि	0.105	
56/3 मि	0.105	
56/3 मि	1.254	
465	0.826	0.094
467	1.400	0.115

(1)	(2)	(3)
464	0.282	0.007
369	0.637	0.187
463	0.931	0.144
462/1	0.261	
462/2	0.627	0.259
462/3	0.272	
484 मि	0.303	0.086
484 मि	0.293	
485 मि	0.701	0.223
485 मि	0.031	
454	0.439	0.021
486	0.679	0.021
453 मि	0.094	0.144
453 मि	0.282	
452	0.324	0.028
451	0.805	0.050
452	0.261	0.050
363	0.470	0.043
364	0.209	0.072
365 मि.	0.418	0.108
365 मि.	0.084	
366/1	0.251	0.072
366/2	0.251	
341/1/मि	0.272	
341/1/मि	0.365	0.129
341/2	1.903	
562/1	0.627	
562/2	0.418	
562/3	2.927	
562/4	1.934	
562/6 मि	0.679	0.021
562/5	3.941	
562/6 मि	0.836	
563	0.995	0.094
	योग :	3.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 नवम्बर 2012

क्र. 3235-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—घोड्डिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.249 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	
84	0.249	—
योग	0.249	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3238-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—सहलोलवा-53

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.653 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	
274	0.405	—
315	0.225	—
349/2	0.023	—
योग . .	0.653	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3239-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—खाम्हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.133 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	
132	0.066	—
503	0.067	—
योग . .	0.133	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 1025-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में "Induction Training Programme" (Second Phase) (2012 Batch), जो दिनांक 26 नवम्बर 2012 से 22 दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 नवम्बर 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 26 नवम्बर 2012 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे Second Phase Field Training के दौरान, उन्हें सौंपे गये कार्य के संबंध में, उनके द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र (Record) अवश्य साथ लावें.

5. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 1054-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).—रजिस्ट्री आदेश क्र. 1006/गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए), दिनांक 20 अक्टूबर 2012 के संदर्भ में, सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश का संबंध जहां तक, श्री मोहम्मद मूसा खान, डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल का भोपाल से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी के पद पर स्थानांतरण से है,

Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi के पत्र 21/4/95-B.Cell, दिनांक 9 अक्टूबर 2012 द्वारा डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद का कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी 2013 तक बढ़ाये जाने के आलोक में, श्री मोहम्मद मूसा खान को दिनांक 31 जनवरी 2013 तक, डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर, कार्यालय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद पर निरंतर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है.

क्र. D-5526.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 8000—275—13500/- (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 5400) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नं. 3 में उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है.

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री आर. के. शर्मा, अनु. अधि. खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ, इन्दौर
2	श्रीमती रिया त्रिपाठी, अनु. अधि. खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ, इन्दौर
3	श्री एस. जी. मोहरिर, निजी सचिव, खण्डपीठ, इन्दौर.	खण्डपीठ, ग्वालियर
4	श्री मुकेश द्विवेदी, अनु. अधि. मुख्यपीठ, जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर
5	श्री महेश चौरसिया, अनु. अधि. मुख्यपीठ, जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर

क्र. D-5536-दो-3-1-36-भाग-पांच.—श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की पदोन्नति डिप्टी रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 10000—325—15,200/- (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100 + ग्रेड पे रु. 6600) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश मुख्यपीठ जबलपुर स्थापना पर दिनांक 1 नवम्बर 2012 से अथवा उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2012

क्र. 1006-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मोहम्मद मूसा खान, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से से श्री अनवर अहमद अंसारी के स्थान पर.
2	श्री अनवर अहमद अंसारी	कटनी	सबलगढ़	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.